

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010—आषाढ़ 29, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010 .

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-5-56-04-चौदह-3, दिनांक 01 मई 2010 से राज्य शासन द्वारा प्रदेश की 230 मंडी समितियों का सामान्य निर्वाचन दिनांक 22 जुलाई, 2010 तक की कालावधि के लिये स्थगित किया गया है. वर्तमान में वर्षाकाल के कारण निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 57-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य की मंडी समितियों का साधारण निर्वाचन 23 जुलाई, 2010 से 7 नवम्बर, 2010 तक की कालावधि के लिये स्थगित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th July 2010

No.D-5-56-2004-XIV-3.—By Notification No. D-05-56-2004-XIV-3, dated 1st May, 2010 of Farmer Welfare and Agriculture Development Department the State Government has postponed the General Election of 230 Market Committees till 22nd July, 2010. At present it is not possible to hold the election due to rainy season.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 57-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby postpone the General Election of the Market Committees of the State from 23rd July, 2010 till the period of 7th Nov., 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—यतः, राज्य सरकार की राय में मंडी समितियों का निर्वाचन वर्षाकाल के कारण नियत समय में कराना संभव नहीं है,

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वर्तमान निर्वाचित मण्डी समितियों की अवधि में वर्तमान अवधि के समाप्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के लिये या मण्डी समितियों के नये निर्वाचन होने तक, जो भी पूर्वतर हो, वृद्धि करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th July 2010

No.D-5-56-2004-XIV-3.—WHEREAS, in the opinion of the State Government it is not possible to hold the elections of Market Committees in the stipulated time due to rainy season.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby extend the term of present elected Market Committees for a period of six months from the date of expiry of the present term or till the new elections of Market Committees, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.